



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में अपमिश्रित शराब बेचने के आरोपी विकास को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 55,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



श्री रविकान्त भारद्वाज
एडीजीसी बागपत

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त विकास पुत्र हरपाल निवासी ग्राम ककौर कलां थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा अपमिश्रित शराब बेचने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 87/2022 धारा 272/273 भादवि व 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.12.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल एससीएसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विकास को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



आरक्षी हरदीप कौर
पैरोकार थाना छपरौली

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 18.12.2025

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राहुल पुत्र गुलाब सिंह
निवासी करबा व थाना खेकड़ा
जनपद बागपत।

2-हरवीर पुत्र डालचन्द निवासी बरौला थाना बरौला जनपद नोएडा ।

3-घोलू उर्फ प्रदीप पुत्र कुन्दन सिंह निवासी बरौला थाना बरौला जनपद नोएडा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (02 वारंटी)

2- थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)